न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–52/2023

ललन यादव..वादी

बनाम

मु0 सुनैना देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.01.2025 अंतर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को प्रतिवादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 18.12.2023 को वाद में उपस्थित हुई तथा समय से बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 30.04.2024 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी सं0–01 को वादग्रस्त भूमि से संबंधित कागजात खोजबीन करने में समय लग जाने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब हो गया। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है बल्कि परिस्थितिवश हो गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलंब माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय से बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया हैं। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–52/2023

ललन यादव..वादी

बनाम

मु0 सुनैना देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **19.04.2025**	होता है कि वाद प्रारंभिक अवस्था में है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–01 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 29.01.2025 मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01 का बयान तहरीरी ग्रहण किया जाता है तथा आदेश दिनांक 30.04.2024 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 02.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	